Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में प्रधान चौधरी, पटवारी उप तहसील खातौली को 45 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 15 अक्टूम्बर, बुधवार। एसीबी मुख्यालय, जयपुर के निर्देश पर कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट द्वारा कार्यवाही करते हुए **प्रधान चौधरी पटवारी, पटवार हल्का कैथुदा, उप तहसील खातौली, जिला कोटा** को परिवादी से **45 हजार रूपये** नगद रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा स्पेशल यूनिट को परिवादी ने एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की, कि परिवादी व उसके परिजनो के नाम दर्ज कृषि भूमि ग्राम बगावदा पटवार हल्का कैथुदा की पैमाईश करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र परिवादी, उप तहसील कार्यालय खातौली में दिया था, जिसको कई दिनो से पैण्डिग रखकर प्रधान चौधरी हल्का पटवारी कैथुदा उप तहसील खातौली द्वारा परिवादी की भूमि की पेमाईशध्नपाई करने के लिए 50,000/— रूपये रिश्वत राशि मांग की जा रही थी।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के प्रभारी **उप महानिरीक्षक श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री पृथ्वीराज मीणा** द्वारा दिनांक 19.09.2025 को शिकायत का सत्यापन करवाया गया। दौराने सत्यापन पटवारी प्रधान चौधरी द्वारा भूमि की पेमाईश करने के लिए 50,000/— रूपये की मांग कर 5,000/— रूपये प्राप्त किये गये। पटवारी द्वारा पेमाईश का कार्य एवं रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु दिपावली से पहले का समय निर्धारित किया गया था। जिस पर आज दिनांक 15.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही प्रधान चौधरी पटवारी, को 45 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ डिटेन कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।